



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235116
CG-DL-E-13042022-235116

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1722]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944

No. 1722]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

का.आ. 1809(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3. उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1831(अ.), तारीख 7 मई, 2018 का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, - (क) उप-शीर्षक “धारा-4(च) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त” में क्रम सं. 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“44 श्री हरिहरन एस. राममूर्ति

अखिल भारतीय उपाध्यक्ष,

लघु उद्योग भारती,

प्लॉट सं. एसपी-51, सेक्टर-2, तीसरी गली,

अम्बतूर औद्योगिक एस्टेट,

चेन्नई-600058”;

(ख) उप-शीर्षक “धारा-4(छ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त” में क्रम सं. 51ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“51ख. श्री के. राधाकृष्ण

अध्यक्ष, अखिल भारतीय समिति,
अखिल भारतीय यूनाइटेड ट्रेड यूनियन (एआईयूटीयूसी)
31, तीसरा क्रॉस (ऊपरी मंजिल),
मल्लेश्वरम,
बंगलौर-560003”.

[फा. सं. यू-16012/02/2020-एसएस-1]

आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1831(अ.), तारीख 7 मई, 2018 के अधीन प्रकाशित की गई थी और अधिसूचन संख्या का.आ. 2480 (अ.), तारीख 7 सितम्बर, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

S.O. 1809(E).—In pursuance of the provisions of section 4 of the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1831(E), dated the 7th May, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), namely:-

In the said notification, — (a) under the sub-heading "Appointed by the Central Government under Section-4(f)", for serial number 44 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“44. Shri Hariharan S. Ramamoorthy
All India Vice President,
Laghu Udyog Bharati,
Plot No. SP-51, Sector-2, 3rd Street,
Ambattur Industrial Estate,
Chennai-600058”;

(b) under the sub-heading "Appointed by the Central Government under Section-4(g)", for serial number 51b and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“51 b. Shri K. Radhakrishna
President, All India Committee,
All India United Trade Union Centre (AIUTUC)
31, 3rd Cross(Upstairs),
Malleswaram,
Bangalore-560003”.

[F. No. U-16012/02/2020-SS-1]

R.K. GUPTA, Jt. Secy

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O.1831(E), dated the 7th May, 2018 and was lastly amended *vide* notification number S.O.2480 (E), dated the 7th September, 2021.